न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर जिला अजमेर केम्प कोर्ट मियापुर ,राजस्थान
पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 7 / 2022

उनवान

1. श्रवण पुत्र श्री लाला
2. शंकर सिंह पुत्र श्री लाला
3. गेन सिंह पुत्र श्री लाला
4. छोटू पुत्र श्री दुला
5. श्रीमति राजी देवी पत्नियां श्री लक्ष्मण
6. नाथू सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण
7. कानी देवी पुत्री स्व० श्री लक्ष्मण
8. गोटादेवी पुत्री स्व० श्री लक्ष्मण
9. श्रीमति सोहनी पत्नि श्री प्रेम
10. गिरधारी सिंह पुत्र श्री प्रेम
11. भागचन्द पुत्र श्री प्रेम
12. मीरा पुत्री श्री प्रेम
13. मोहनी देवी पुत्री श्री प्रेम
14. सीमा देवी पुत्री श्री प्रेम
15. श्रीमति पानी देवी पत्नि श्री प्रताप
16. प्रकाश सिंह पुत्र श्री प्रताप
17. गीता पुत्री श्री प्रताप
18. ज्ञाना पुत्री श्री प्रताप
19. श्रीमति जमना देवी पत्नि श्री सुखा
20. मन्जू देवी पुत्री श्री सुखा
21. माया रावत पुत्री श्री सुखा
22. रेखा देवी पुत्री श्री सुखा

23. राजेन्द्र सिंह रावत पुत्र श्री सुखा
24. श्रीमति प्रेम देवी पत्नि श्री कर्म सिंह
25. नानू सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
26. लाखा सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
27. विक्रम सिंह पुत्र श्री कर्म सिंह
28. देवा सिंह पुत्र श्री बीरम
29. प्रधान पुत्र श्री किशन सिंह
30. मंगला पुत्र श्री सुवा

(समस्त जाति रावत निवासी ग्राम नाहरपुरा तहसील व जिला अजमेर।)

...... प्रार्थीगण

बनाम

1. नंगा पुत्र श्री चन्ना
2. श्रीमति चूकी पत्नि श्री शंकर'
3. श्रीमति सन्तोष देवी पनि स्व० श्री रघुवीर
4. करतार सिंह पुत्र स्व0 श्री रघुवीर सिंह
5. आयचुकी देवी पुत्री स्व० श्री रघुवीर सिंह.
6. श्रवण पुत्री स्व0 श्री रघुवीर सिंह
7. सुगन सिंह पुत्र स्व० श्री किशना
8. गोकूल सिंह पुत्र स्व० श्री किशना
9. काली पनि स्व० श्री गोपाल
10. श्रीमति गुमानी पत्नि श्री मोहन सिंह
11. नेती पुत्री श्री मल्ला
12. नानू पुत्र श्री मल्ला
13. पृथ्वीराज पुत्र स्व० श्री गोपाल
14. पन्नाराम पन्नासिंह पुत्र श्री बख्तावर सिंह
15. चूसिंह पुत्र श्री नंगा सिंह (फौत)

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

15/1 श्रीमति जेती पत्नि श्री पांचू सिंह

15/2 महेन्द्र सिंह

15/3 गोमा सिंह पुत्र श्री पांचू सिंह

15/4 सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पांचू सिंह

16 गोपी पुत्र स्व0 श्री किशना (फौत),

16/1. श्रीमति सकना पत्नि स्व० श्री गोपी सिंह

16/2 काना पुत्र स्व0 श्री गोपी सिंह

16/3 कैलाश पुत्र स्व0 श्री गोपी सिंह

16/4. बीरी पुत्री स्व० श्री गोपी सिंह

17. बगडावत पुत्र श्री बुद्धा

18. कोया पुत्री स्व० श्री बुद्धा

(समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम [illegible] तहसील व जिला अजमेर)

19. मोती पुत्र स्व0 श्री मुण जाति रावत निवासी हाल ग्राम [illegible] तहसील [illegible] बांदनवाडा जिला अजमेर

20 प्रबन्धक महोदय बैंक आफ बड़ौदा, शाखा राजगढ़, तहसील व जिला अजमेर

21. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील व जिला अजमेर। — [illegible]

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:आदेश:– दिनांक :- [illegible]

पत्रावली आज दिनांक को प्रशासन गांव के संग अभियान [illegible] में सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण उपस्थित। अप्रार्थीगण उपस्थित। [illegible] पर उन्हे उक्त पत्रावली पर सुना गया।

प्रार्थी/वकिल प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की काश्तशुदा [illegible] चाह जो कि ब–मुताबिक वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070-2073 के [illegible]

खसरा नम्बर 107, 110, 111, 120, 125, 137, 141, 433, 434, 435, 704, 704/1085, 704/1145, 705, 706, 707, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 743, 744, 745, 787, 788, 85, 909, 910 एवं 911 कुल किता 35 कुल रकबा 8.26 हैक्टयर भूमि जो कि वाके ग्राम नाहरपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित होकर प्रार्थीगण के नाम खातेदारी एवं काश्तकारी में दर्ज चली आ रही है, जिसमें खातेदार किशना पुत्र श्री केला एवं रामा पुत्र श्री केला जो कि ला–औलाद फौत हो चुके है, कि जिसके समर्थन में वर्तमान जमाबंदी संवत् 2070–2073 एवं वर्तमान राजस्व नक्शा आदि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है । प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 704 रकबा 0.10 है0, 704 / 1085 रकबा 0.10 है0, 704 / 1145 रकबा 0.10 है0 705 रकबा 0.15 है0, 706 रकबा 0.09 है0, 707 रकबा 0.23 है0, 727 रकबा 0.15 है0, 728 रकबा 0.14 है0, 729 रकबा 0.02 है0 किस्म गै० मु० चाह, 730 रकबा 0.02 है0, 731 रकबा 0.28 है०, 732 रकबा 0.15 है0, 733 रकबा 0.50 है0, 734 रकबा 0.19 है0, 735 रकबा 0.16 है0, 736 रकबा 0.21 है0, 743 रकबा 0.16 है0, 744 रकबा 0.24 है0, 787 रकबा 0.21 है० एवं खसरा नम्बर 788 रकबा 0.23 है0 जो सम्पूर्ण भूमि किस्म चाही 1 है, तथा मौके पर वर्णित भूमि की सीमाएं आपस में लगती हुई होकर एक चक भूमि के रूप में अवस्थित है, जो कि सिंचित एवं उपजाऊ भूमि है, जिसकी सिंचाई चाह (कुआं) खसरा नम्बर 729 से की जा रही है । इस प्रकार प्रार्थीगण की आजीविका वर्णित खातेदारी आराजीयात् पर ही निर्भर है, जिससे प्रार्थीगण अपना एवं अपने–अपने परिवार का भरण–पोषण वर्णित कृषि भूमि के अपने पूर्वजों के समय से आज दिवस तक करते चले आ रहे है । अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मुताबिक वर्तमान जमाबंदी के खाता सं0 151 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719, 720, 723, 726 एवं 790 रकबा 1.74 हे0 एवं खाता सं0 150 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 430, 437, 440, 724 एवं 725 रकबा 1.34 है0 भूमि जिसके खातेदार अप्रार्थीगण के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है, कि जिसमें खातेदार श्री पांचू पुत्र श्री नंगा का भी स्वर्गवास हो चुका है, कि जिसके वारिस अप्रार्थी सं0 15 / 1 लगायत 15 / 4 है, तथा खातेदार श्री गोपी पुत्र श्री किशना का भी स्वर्गवास हो चुका है कि जिसके वारिस अप्रार्थी सं0 16 / 1 लगायत 16 / 4 है, इसी प्रकार खातेदार मुण पुत्र जवाना का स्वर्गवास हो चुका है, कि जिसका एकमात्र वारिस अप्रार्थी सं0 19 है, कि जिनकी विरासत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अंकित नहीं होने से अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किये है, तथा अप्रार्थी सं0 1, 2, 15 / 1 द्वारा अपने आंशिक हिस्से का रहन अप्रार्थी सं0 20 के पक्ष में रहन होने से पक्षकार संयोजित किया

तथा उक्त अप्रार्थी सं0 20 के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है। इस प्रकार अप्रार्थी सं0 1 लगायत 19 की खातेदारी भूमि के सन्दर्भ में वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण की वर्णित खातेदारी भूमि एवं चाह (कुआं) खसरा नम्बर 729 पर आवागमन का एक मात्र रास्ता जो कि पश्चिम दिशा की ओर अवस्थित आम रास्ता सड़क जो कि [illegible] से नाहरपुरा एवं आगे राजगढ़ की ओर जाती है, से लगाकर पूर्व की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता सं0 151 में दर्ज खसरा नम्बर 718 एवं 723 तथा खाता सं0 150 में दर्ज खसरा नम्बर 725 अवस्थित है, कि जिसकी दक्षिणी सींव से होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728 एवं चाह खसरा नम्बर 729 पर एवं अन्य भूमियों पर खेती बाड़ी करने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ बैलगाड़ी, ट्रेक्टर-ट्रॉली, हल इत्यादि के आवागमन हेतु उपयोग करते रहे है, कि उक्त आवागमन के अलावा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक पहुंचने का अन्य ओर कोई वैकल्पिक अथवा लघुतम मार्ग मौके पर उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करने हेतु उक्त आवागमन रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है, कि जिससे यह प्रार्थना पत्र वास्ते अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 718, 725 एवं 723 में से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता कीमतन उपलब्ध कराये जाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक आवागमन हेतु 12 फीट चौड़ा रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि वर्तमान खाता सं0 151 में दर्ज खसरा नम्बर 718 एवं 723 तथा खाता सं0 150 में दर्ज खसरा नम्बर 725 की दक्षिण में सींव पर लगाकर आगे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 728 की सीमा तक आदेशानुसार कीमतन 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाया जावें, कि जिसकी राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है, तदनुसार उक्त रास्ते की भूमि को वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम की जाकर सिवायचक दर्ज करवाया जायें, जो कि न्यायसंगत एवं विधि सम्मत होगा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

प्रकरण में अप्रार्थीगण 1,2,3,4,7,8,9,10,11,13,14,15/1,15/3,15/4,16,17 की ओर से श्री रमजान मोहम्मद अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी 5, 6 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कृष्णा पुत्र श्री कैला एंव रामा पुत्र श्री केला नाऔलाद फौत हो चुके है जिसके समर्थन मे प्रार्थीगण जमाबंदी सम्वत् 2070-2073 पेश की गई है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो व्यक्ति नाऔलाद फौत हो चुके है उनके अधिकारो के प्रति प्रार्थीगण किसी भी प्रकार का उज व ऐतराज करने का अधिकारी नहीं है इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृतकों के विरूद्ध सारहीन, बलहीन व महत्वहीन होने से इसी कानूनी बिन्दुओ पर निरस्तनीय है। प्रार्थीगण ने पैरा संख्या 2 मे अपनी आराजी के खाता व खसरा नम्बर वर्णित किये गये हैं। जो राजस्व रिकार्ड से सम्बंधित है। खाता संख्या 151 की आराजी खसरा नम्बर 716, 717, 718, 719,720, 723, 726, 790 रकबा 1.74 हैक्टयर तथा खाता संख्या 150 में आराजी खसरा नम्बर 430, 437, 440, 724, 725 रकबा 1.34 हैक्टयर जिसमे अप्रार्थीगण खातेदार, काश्तकार काबिज है, इस प्रकार प्रार्थीगण ने पांचू पुत्र श्री नगा का स्वर्गवास होने से उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 15/1 से 15/4 बनाये गये है इसी प्रकार गोपी पुत्र श्री किशना का स्वर्गवास हो जाने से उसके विधिक वारिसान अप्रार्थी संख्या 16/1 से 16/4 बनाये गये है इसी प्रकार मूण पुत्र श्री जवाना का इन्तेकाल हो चुका है जिसका एक मात्र वारिसान अप्रार्थी संख्या 19 है। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 15/1 द्वारा अपने आंशिक हिस्से का रहन अप्रार्थी संख्या 20 बैंक ऑफ बडौदा के नाम दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण का कुआ (चाह) खसरा नम्बर 729 पर आने जाने हेतु दक्षिण दिशा की ओर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, जिस पर होकर प्रार्थीगण आते जाते है। खाता संख्या 151 के खसरा नम्बर 718 व 723 तथा खाता संख्या 150 के खसरा नम्बर 725 अप्रार्थीगण की खातेदारी मे होकर कब्जेकाश्त में चला आ रहा है, जिस पर कभी भी कोई रास्ता कायम नही रहा हैं और ना ही है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से तथा नुकसान पहुँचाने की नियत से खसरा नम्बर 718, 723,732 में से रास्ता लेने की स्वीकृति चाही हैं जो किसी भी सूरत मे नही दी जा सकती है क्योकि प्रार्थीगण की आराजी पर जाने के लिये अन्य रास्ता वैकल्पिक रूप से दक्षिण दिशा में स्थित है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 728 व 729 पर आने जाने के लिये कभी भी अप्रार्थीगण के खेतों में से होकर किसी भी प्रकार का रास्ता कायम नही रहा है। प्रार्थीगण ने झूठे, मनगढन्त, निराधार आधार लेकर तथ्य अंकित किये है। ट्रेक्टर ट्रोली हल इत्यादि लाने ले जाने हेतु प्रार्थीगण का रास्ता दक्षिण दिशा मे सराधना रोड पर रहा है। खसरा नम्बर 728 की सीमा तक पहुँचने के लिये ज्यादा से ज्यादा अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 790 में से 12 फुट रास्ता

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
महंगाई राहत कैम्प
2023

...से पूर्व की ओर दिया जा सकता है। प्रार्थीगण अत्यन्त चालाक एवं लालची व्यक्ति है ...एक लम्बा रूट की अनावश्यक रूप से मांग कर रहे है जिससे अप्रार्थीगण की काफी ... खसरा नम्बर 718, 723, 725 तीन खेतो मे से रास्ता दिये जाने का कोई [illegible] नही है क्योंकि खसरा नम्बर 790 जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रार्थीगण के खेतो मे जाता है, 12 फुट रास्ता देने को तैयार है, अन्य कोई रास्ता किसी भी सूरत में देने को तैयार नही है क्योंकि यही लघुतम रास्ता प्रार्थीगणो के खेतो मे जाने हेतु इसी खेत खसरा नम्बर 790 मे दिया जाना उचित है। इससे अप्रार्थीगण की कम से कम आराजी प्रभावित होगी अन्य किसी खेत मे कोई रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नही है क्योंकि सबसे लघुतम रास्ता यही है। अतः जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे । अप्रार्थीगण ने दौराने शिविर एक और जवाब प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पुनः तलब करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसके सबंध मे पेशकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर ने दौराने केम्प निवेदन किया गया कि मौका रिपोर्ट एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार ही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

तहसीलदार अजमेर ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रस्तावित आराजी पर आवागमन हेतु रिकोर्डेड व मौका पर कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही लघुत्तम दूरी के मार्ग का रास्ता है। प्रस्तावित आराजी 728 पर आवागमन हेतु चाहे गए रास्ता खसरा नम्बर 718 में 272 वर्ग मीटर, 725 में 32 वर्ग मीटर, 723 में 176 वर्ग मीटर है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 728 पर पहुँच हेतु रास्ते दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होता है क्योंकि वाछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुतम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी द्वारा पहुँच मार्ग हेतु मुख्य सडक सराधना राजगढ मार्ग से प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 728 तक आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण के पास में स्वयं के खातेदार खेत खसरा नम्बर 728 सहखातेदार काबिज है। कृषि कार्य करने का कार्य करने हेतु विधि पूर्ण आवागमन का रास्ता नही है। इस कारण भारी परेशानी व दिक्कते का सामना करना पडता है। इस कारण प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 728 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 718, 723 एवं 725 मे से रास्ता उपलब्ध

कराया जावे। प्रार्थी जो भी राशि है अदा करने को तैयार है। साथ ही तहसीलदार अजमेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 08.6.2022 में वादग्रस्त आराजी पर आवागमन हेतु लघुत्तम मार्ग होना रिपोर्ट में जाहिर किया गया है।

उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 728 पर आवगमन एवं टेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम नाहरपुरा पटवार हल्का मियापुर तहसील अजमेर अवस्थित खसरा नम्बर 718,723,725 मे से 12 फुट चौडा रास्ते दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार अजमेर राजस्व अभिलेख में इस अनुसार उपरोक्त वर्णित रास्ते को सिवायचक अंकित कर रास्ते की तरमीम करने के इन्द्राज दिए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार अजमेर उक्त दिए गए रास्ते भूमि कीमत डी.एल.सी दर तलब की जावे । उपरोक्त कीमत दो गुना राशि प्रार्थी रकबे के अनुसार अप्रार्थीगण को संदाय करने हेतु राशि का भुगतान करे, न लेने पर राशि राजकोष में जमा कराई जावे । आदेश की प्रति तहसीलदार अजमेर को जारी हो ।

आदेश आज दिनांक 23.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस.
[illegible]
उपखण्ड अधिकारी अजमेर
शिविर प्रभारी
महंगाई राहत कैम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023

क्रमांक 4436 दिनांक 28/6/23

प्रतिलिपि:- तहसीलदार अजमेर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर